# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–02/12–13

विमला देवी पति–बैधनाथ शर्मा, मो0–कुम्हारपाड़ा दुमका

वनाम

गीता देवी पति–श्री अभय नाथ सिंह, मो0–कुम्हारपाड़ा दुमका

| आदेश की कम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–02/12–13 विमला देवी पति–बैधनाथ शर्मा, मो0–कुम्हारपाड़ा दुमका के द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–67/82–83 में पारित आदेश दिनांक–23.12.1982 के विरुद्ध दायर किया गया है।<br>प्रस्तुत वाद मौजा–नया दुमका, नं0–07 जमाबंदी नं0–36/03 दाग नं0–18 एवं 19 कुल रकवा 4 कट्ठा 13 धुर से संबंधित है। विपक्षी द्वारा आज दिनांक 28.07.21 को सुचित किया गया है कि ~~विमला~~ गीता देवी की मृत्यू दिनांक–15.05.2021 को हो गई है।<br>अंचल अधिकारी, दुमका के पत्रांक–919/रा0, दिनांक–11.11.2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–दुमका टाउन थाना नं0–7 के पंजी–II के जिल्द सं0–1 न्यू पृष्ठ सं0–81 में खाता सं0–36/3 दाग सं0–18 एवं 19 रकवा–00–04–13 धुर वार्षिक लगान 9.00 रू0 अलावे शेष विपक्षी श्रीमती गीता देवी पति–श्री अभय नाथ सिंह के नाम से दर्ज है। इस जमाबंदी के कायम किये जाने का आधार अंचल कार्यालय दुमका के नामान्तरण वाद सं0–67/82–83 में पारित आदेश दिनांक–23.12.1982 है। वर्तमान में इस भुखण्ड पर विपक्षी का पक्के का आवासीय मकान अवस्थित है। जिसमें ये सपरिवार वास कर रही है।<br>अतः अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर श्रीमती गीता देवी का दखल कब्जा है। जिसमें वे सपरिवार निवास करती है। अतः नामान्तरण अपील को खारिज किया जाता है। इसी समीक्षा के साथ वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।<br>लेखापित एवं संशोधित। 28.07.2021<br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br>दुमका।<br>28.07.2021<br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br>दुमका। | |

## न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–02/12–13

विमला देवी पति–बैधनाथ शर्मा, मो0–कुम्हारपाड़ा दुमका

वनाम

गीता देवी पति–श्री अभय नाथ सिंह, मो0–कुम्हारपाड़ा दुमका

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–02/12–13 विमला देवी पति–बैधनाथ शर्मा, मो0–कुम्हारपाड़ा दुमका के द्वारा अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–67/82–83 में पारित आदेश दिनांक–23.12.1982 के विरुद्ध दायर किया गया है।<br>प्रस्तुत वाद मौजा–नया दुमका, नं0–07 जमाबंदी नं0–36/03 दाग नं0–18 एवं 19 कुल रकवा 4 कट्ठा 13 धुर से संबंधित है। विपक्षी द्वारा आज दिनांक 28.07.21 को सुचित किया गया है कि ~~विमला~~ गीता देवी की मृत्यू दिनांक–15.05.2021 को हो गई है।<br>अंचल अधिकारी, दुमका के पत्रांक–919/रा0, दिनांक–11.11.2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–दुमका टाउन थाना नं0–7 के पंजी–II के जिल्द सं0–1 न्यू पृष्ठ सं0–81 में खाता सं0–36/3 दाग सं0–18 एवं 19 रकवा–00–04–13 धुर वार्षिक लगान 9.00 रू0 अलावे शेष विपक्षी श्रीमती गीता देवी पति–श्री अभय नाथ सिंह के नाम से दर्ज है। इस जमाबंदी के कायम किये जाने का आधार अंचल कार्यालय दुमका के नामान्तरण वाद सं0–67/82–83 में पारित आदेश दिनांक–23.12.1982 है। वर्तमान में इस भुखण्ड पर विपक्षी का पक्के का आवासीय मकान अवस्थित है। जिसमें ये सपरिवार वास कर रही है।<br>अतः अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर श्रीमती गीता देवी का दखल कब्जा है। जिसमें वे सपरिवार निवास करती है। अतः नामान्तरण अपील को खारिज किया जाता है। इसी समीक्षा के साथ वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित।<br>28.07.2021<br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br>दुमका।<br><br>28.07.2021<br>भूमि सुधार उपसमाहर्ता<br>दुमका। | |

Digitally signed by ABDUS SAMAD
Date: 2024.07.27 18.59.56 +05:30
Location: 192.168.29.122